रा. रा. श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

आऊट स्टेडिंग डेवलपर्स प्रा.लि. तर्फे
संचालक प्रशांत अग्रवाल पिता श्री पुरूषोत्तम अग्रवाल
निवासी, 5, यशवंत कॉलोनी, अग्रवाल हाउस,
प्रथम मंजिल, इंदौर .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

जगदीश पिता बद्रीलाल जाति दर्जी
निवासी महूगांव तह. महू जिला इन्दौर .... प्रतिप्रार्थी

आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. के अंतर्गत

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि –

1. यह कि, प्रार्थीगण के स्वामित्व की कृषि भूमि ग्राम महूगांव तहसील–महू, जिला इन्दौर, सर्वे क्र. 15/5, 15/6, 15/7, 15/8 की कुल रकबा 4.364 हेक्टेयर की स्थित है। उक्त भूमियां प्रार्थीगण द्वारा स्वरूपसिंह, रूपसिंह, मोहनसिंह पिता रामसिंह व अन्य से क्रय की गई है। उक्त स्वरूपसिंह व अन्य के द्वारा उपरोक्त वर्णित भूमियों का श्रीमान् सहायक भू अभिलेख अधीक्षक महोदय, इन्दौर से दिनांक 10.03.2011 को मौके पर प्रतिप्रार्थी की उपस्थिति में सीमांकन करवाया गया था। तत्पश्चात् प्रतिप्रार्थी जगदीश के द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय अंबेडकर नगर, महू से रा.प्र.क्र. 46/अ–12/2012–13 में सीमांकन उसकी ग्राम महूगांव स्थित सर्वे क्र. 15/2, कुल रकबा 6.070 है. का करवाया गया। उक्त प्रकरण में राजस्व निरीक्षक वृत्त महू द्वारा दिनांक 19.09.2013 को श्रीमान् भू–अभिलेख अधीक्षक महोदय इन्दौर के द्वारा किए गए सीमांकन एवं सीमांकन के दौरान प्रार्थीगण और प्रतिप्रार्थी की भूमियों के मध्य अंतिम सीमा पर सीमाचिन्ह नियत किये गए थे, उक्त नियत किए गए सीमाचिन्हों को अमान्य करते हुए राजस्व निरीक्षक वृत्त महू द्वारा अवैधानिक रूप से दिनांक 19.09.2013 को सीमांकन करते हुए सहायक भू–अभिलेख अधीक्षक महोदय द्वारा निर्मित सीमाचिन्ह एवं फिल्डबुक को अमान्य करते हुए प्रार्थीगण की भूमियों में 0.421 हेक्ट. भूमि पर अवैध कब्जा प्रार्थीगण की भूमि पर ही प्रार्थीगण का दर्शा दिया है। जिसके संबंध में एक आपत्ति प्रार्थीगण द्वारा उक्त राजस्व प्रकरण क्र. 46/अ–12/2012–13 प्रस्तुत करने पर श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय/ अपर तहसीलदार महोदय (सुश्री निधि वर्मा) द्वारा दिनांक 17.10.2013 को अवैध एवं आलोच्य

For: Outstanding Developers Pvt. Ltd.

Director

17/11/15	आवेदक अभिभाषक सूचना उपरांत अनुपस्थित। तीन बार पुकार लगायी गयी, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभि. की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अध्यक्ष	17/11/15

[कृ. प. उ.